जनपद देहरादून में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लैन्सडाउन चौक पर तिब्बती मार्केट के सामने बहुउद्देशीय भवन के पास हाईड्रोलिक पार्किंग सिस्टम को स्वंय सहायता समूह के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु (SOP) मानक संचालन प्रक्रिया।

प्रस्तावनाः—

जनपद देहरादून में नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत लैन्सडाउन चौक पर तिब्बती मार्केट के सामने बहुउद्देशीय भवन के पास निर्मित की गयी भू तल पर हाईड्रोलिक पार्किंग सिस्टम सुविधाओं को जनपद में राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन योजनान्तर्गत गठित सक्रिय समूहों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये SOP (Stand Operating Procedure) तैयार की गयी है, तथा ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधाओं के संचालन एवं आबंटन के सम्बन्ध में सभी प्रकार के आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु मा0 महापौर महोदय की अध्यक्षता में निम्न प्रकार नगर निगम स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

नगर निगम, स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति :—

1. मा0 महापौर, नगर निगम देहरादून। — **अध्यक्ष**
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून। — **उपाध्यक्ष**
3. उप नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून। — **सदस्य**
4. मुख्य नगर लेखा परीक्षक, नगर निगम, देहरादून। — **सदस्य**
5. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, देहरादून। — **सदस्य**
6. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, देहरादून। — **सदस्य सचिव**

नगर निगम स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक आवश्यक रूप से आहूत की जायेगी व दैनिक रूप और आकस्मिक स्थिति में दीन दयाल अन्तयोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन (DNULM) कार्यालय द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा, उक्त समिति की ओर से आहरण—वितरण सम्बन्धित कार्य नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

ऑटोमेटेड पार्किंग के आबंटन एवं संचालन हेतु पात्रता की शर्तेः–

1. नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित ऐसे सक्रिय समूहों के पदाधिकारीगण जिनके द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने समूहों का संचालन किया जा रहा हो के द्वारा ही ऑटोमेटड पार्किंग सुविधा के संचालन हेतु आवेदन किया जायेगा।
2. पार्किंग संचालन में लगने वाले कार्मिकों की व्यवस्था आबंटी समूह को अपने स्तर पर करनी होगी।
3. ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा के आबंटन हेतु दो जनपद स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा का आबंटन नगर निगम स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के सम्मुख लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। मुख्य आबंटी के साथ–साथ प्रतीक्षारत आबंटी का भी चयन किया जायेगा, यदि एक माह तक मुख्य आबंटी द्वारा ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा का संचालन नहीं किया जाता है तो प्रतीक्षारत आबंटी को पार्किंग संचालन का कार्य आबंटन कर दिया जायेगा।
4. एक समूह द्वारा केवल एक ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जा सकता है। यदि एक आवेदक द्वारा ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा हेतु एक से अधिक आवेदन किये जाते है उसके समस्त आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
5. एक समूह को अधिकतम् 01 वर्ष की अवधि के लिये ही ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा का आबंटन किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में नगर निगम स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति द्वारा समय अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
6. आबंटी समूह को आबंटन के दो सप्ताह के अन्दर रू0–100 के स्टॅाम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. आबंटी समूह द्वारा किसी भी दशा में ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा को (Sublet) नही किया जायेगा, तथा आबंटी समूह के सदस्यों द्वारा ही ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा का संचालन किया जायेगा।
8. आबंटी समूह द्वारा पार्किंग में कार्यरत कार्मिकों जैसे वाहन चालक, कम्पयूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड आदि का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, तथा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कार्मिकों को श्रम विभाग के मानकों के अनुसार न्यूनतम् मानदेय प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
9. आबंटी समूहों द्वारा रू0–65,000/–(पैंसठ हजार मात्र) की जमानत/धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम पर जिसकी अवधि एक वर्ष छः माह की होगी को नगर निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा, जो कि अनुबन्ध समाप्ति के एक माह के अन्दर वापस किया जायेगा।
10. ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा स्थल में विद्युत एवं जल संयोजन एवं अन्य प्रकार के समस्त प्रभारों का भुगतान आबंटी समूह द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत किया जायेगा, ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा में स्थापित उपकरणों की खराबी/मरम्मत तथा सर्विसिंग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक समूह की होगी।
11. ऑटोमेटेड पार्किंग की सुविधा से प्राप्त आय नगर निगम के पार्किंग सम्बन्धी खाते में जमा होगी।
12. पार्किंग शुल्क को ऑनलाईन प्राप्त करने के लिये नगर निगम द्वारा क्यूआर कोड एवं यू0पी0आई0 आई0डी0 आदि की समुचित व्यवस्था आबंटी समूह को उपलब्ध करा दी जायेगी। पार्किंग में होने समस्त व्यय जैसे कार्मिकों का वेतन, बिजली बिल आदि की समस्त खर्चो के पश्चात ऑटोमेटेड पार्किंग से जो भी आय होती है तो नगर निगम देहरादून द्वारा उसका 50 प्रतिशत आबंटी स्वंय सहायता समूह को भुगतान किया जायेगा।

13. आबंटी समूह द्वारा नगर निगम के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी से पार्किंग का शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

14. पार्किंग में हुए किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम, स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

15. पार्किंग सुविधाओं को निरन्तर बिना किसी व्यवधान के प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिना किसी अवकाश के आवश्यक सेवाओं के भांति संचालित किया जायेगा।

16. ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा संचालक समूहों द्वारा उपभोक्ताओं के वाहनों को सावधानी के साथ पार्क करते हुए देख रेख की जायेगी। पार्किंग के समय किसी उपभोक्ता के वाहन में यदि कोई क्षति कारित होती है, तो उसका सम्पूर्ण दायित्व संचालक समूह का होगा। समूह को व्यवसायिक दक्षता एवं शिष्टाचार पूर्ण ढंग से पार्किंग सेवाओं का संचालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में नगर निगम, स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा उनका आबंटन रद्द कर दिया जायेगा।

17. ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा में चार पहिया वाहन पार्किंग हेतु 1 घन्टे के लिये रू0–30/– 1 से 3 घन्टे तक रू0–50/–प्रति वाहन तीन घन्टे पश्चात रू0–100 प्रतिवाहन प्रतिदिन के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त के आधार शुल्क लिया जायेगा।

कर निर्धारण अधिकारी,
नगर, निगम, देहरादून।